

फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर


संख्या :- 56/2024

लाली देवी शर्मा बनाम मनमर देवी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/1/24	<p>दावा वकील वादी ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी से जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/1/24 को पेश हो।</p>	
21/1/24	<p>पत्रावली पेश हुयी/R.O./साहब/कर्य कम्प्लेट हुये। युनाय.डी. दिनांक 21/1/24 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी उपचाकसू (जयपुर)</p>
31/1/24	<p>पत्रावली पेश हुयी/R.O./साहब/कर्य कम्प्लेट हुये। युनाय.डी. दिनांक 31/1/24 को पेश हो।</p>	
9/4/24	<p>पत्रावली पेश हुयी/R.O./साहब/कर्य कम्प्लेट हुये। युनाय.डी. दिनांक 9/4/24 को पेश हो।</p>	
21/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता रामरतन भीगा हाजिर।</p> <p>ग. पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC पर कक्षा लनी गई।</p> <p>ग. पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC इत आशय ले पेश किया गया है कि इस वाद के पक्षकों एवं इसी विवादित मुक्ति पर एक पूर्ववर्ती</p>	

वाद अवानी मनमर बनाव लाकी
देवी लख्या 412/23 विनाराधीन हू
प्राची का प्र पत्र रिकार्ड ले लिउ
हैं, वादी को यह वाद पश्चातकी
वाद हैं, इलाकिए इल वाद पर अधिवादी
राकी जाती हैं।

अधिवी-वाद के निस्तारण
तक पत्रालयी को दायित्व एन्तर
दिवा जाता हैं।


उपखण्ड अधिवी
उपखण्ड वाद प्र (अधिवी)